

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2012—श्रावण 19, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2012

क्र. ई-1-400-2011-5-एक.—श्रीमती विजया श्रीवास्तव, भाप्रसे (1984) प्रमुख सचिव (कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिया सौंपी जाती है.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. ई-1-248-2012-5-एक.—श्री पंकज राग, भाप्रसे (1990), आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं पदेन सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग को केवल पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

क्र. ई-5-675-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सतीश चन्द्र मिश्र, आयएस., सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम को दिनांक 16 से 20 जुलाई 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश चन्द्र मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-837-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएस., अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल को निम्नांकित अवधियों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 9 से 13 जुलाई 2012 तक, पांच दिन, दिनांक 8 एवं 14, 15 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित.
2. दिनांक 12 से 15 जून 2012 तक, चार दिन, दिनांक 16, 17 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2012

क्र. ई-1-256-2012-5-एक.—श्री उमाकांत उमराव, भाप्रसे (1996), आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई-1-197-2012-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुये उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर

अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव खाना (3) में अंकित वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	(3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)

1. श्रीमती अरुणा शर्मा (1982), वि. क. अ.-सह- विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग.

(2) मुख्य सचिव ग्रेड में पदोन्नति के लिये रिक्ति के निर्धारण पर प्रस्ताव भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को दिनांक 11 जून, 2012 को भेजा गया है और भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छा का उत्तर भी दिनांक 10 जुलाई 2012 को भेजा गया है. यह पदोन्नति आदेश भाप्रसे (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3(2) (ii) एवं (iii) में प्रावधान अनुसार पदों की गणना के लिये भारत सरकार की Deemed Concurrence मानते हुए जारी किये जा रहे हैं.

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2012

क्र. ई-5-290-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. के. राय आयएस., अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल को दिनांक 16 से 27 जुलाई 2012 तक, बारह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री एम. के. राय की अवकाश अवधि में श्री संजय सिंह, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम. के. राय द्वारा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय सिंह, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-547-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 13 से 18 जुलाई 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-702-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रदीप खरे, आयएस., कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 14 से 18 मई 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 मई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री प्रदीप खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-659-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. के. वेद, आयएस., आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 13 से 17 अगस्त 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 अगस्त एवं 18, 19 अगस्त 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एस. के. वेद की अवकाश की अवधि में श्री अशोक देसवाल, भाप्रसे अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. वेद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. के. वेद, द्वारा आबकारी, आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक देसवाल, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2012

क्र. ई-1-246-2012-5-एक.—श्री जे. एन. मालपानी, भाप्रसे, (1994) आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2012

क्र. ई-1-258-2012-5-एक.—श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे, (2003) उपसचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, जल निगम मर्यादित का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-577-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार शाह, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 28 जून से 4 जुलाई 2012 तक, सात दिन के लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा संचालक संस्थागत वित्त तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-634-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएस., आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जून 2012 द्वारा दिनांक 23 जुलाई से 17 अगस्त 2012 तक, छब्बीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश, दिनांक 21, 22 जुलाई एवं 18, 19, 20 अगस्त 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है तथा उक्त अवकाश अवधि में आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश का प्रभार श्रीमती सूरज डामोर, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सौंपा गया है.

(2) उक्त आदेश दिनांक 29 जून 2012 के पद 2 में आंशिक संशोधन करते हुए, डॉ. मनोहर अगनानी की उक्त अवकाश अवधि में आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश का प्रभार श्रीमती सूरज डामोर, आयएस सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्थान पर अब डॉ. श्री रवीन्द्र पस्तोर, आयएस., मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) भोपाल को सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-791-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री निशांत वरवड़े, आयएस., तत्का. कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 11 से 23 जून 2012 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 24 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-826-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 17 जुलाई 2012 से 12 जनवरी 2013 तक, एक सौ अस्सी दिन का Child Adoption Leave स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-849-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सी. बी. सिंह, आयएस., कलेक्टर, जिला विदिशा को दिनांक 28 जून से 6 जुलाई 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सी. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सी. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-882-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शिल्पा, आयएस., अपर कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 9 जुलाई 2012 से 4 जनवरी 2013 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिल्पा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2012

क्र. ई-5-575-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. एन. मिश्रा, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 25 जुलाई से 7 अगस्त 2012 तक, चौदह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री एस. एन. मिश्रा की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार डॉ. देवराज बिरदी, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. एन. मिश्रा द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास, निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी उक्त अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. एन. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2012

क्र. एफ-3-2-2010-बयालीस-1.—राज्य शासन के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 16 सितम्बर 2010 के द्वारा “उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना” के लिये पात्र पाठ्यक्रम एवं देश के भीतर पात्र तकनीकी संस्थाओं को क्रमशः पैरा 2 (अ) एवं (ब) में अधिसूचित किया गया है। राज्य शासन एतद्वारा उक्त सूची में कमर्शियल पॉयलट लायसेंस प्राप्त करने के लिये डीजीसीए अनुमोदित संस्थाओं के प्रशिक्षण को भी पात्र घोषित करता है।

(2) शेष प्रावधान यथा अधिसूचित अनुसार है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शामीम उद्दीन, अपर सचिव।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता

संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2012

क्र. एफ-5-12-2011-उन्तीस-2.—राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :—

क्रमांक (1)	नाम (2)	जिला (3)
1.	श्रीमती मीनाक्षी सिंह	सागर
2.	श्रीमती नीलू सोनकर	हरदा

(2) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे। उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी। सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध रेगे, उपसचिव।

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2012

क्र. 1747-1260-12-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारियों को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करती है। अर्थात् :—

अनुसूची

क्र. बोर्ड और उसका मुख्यालय (1) (2)	जिलों के नाम (3)	प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम (4)
1 शहडोल	शहडोल	श्री प्रमोद कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
2 मंडला	मंडला	श्री संतोष कुमार कोल न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी।
3 कटनी	कटनी	श्री शशि भूषण शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी।

No. 1747-1260-2012-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column (4) as Principal Magistrate in the following Juvenile Justice

Boards as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the Districts	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shahdol	Shahdol	Shri Pramod Kumar, Chief Judicial Magistrate.

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Mandla	Mandla	Shri Santosh Kumar Kol, Judicial Magistrate First Class.

3	Katni	Katni	Shri Shashi Bhushan Sharma, Judicial Magistrate First Class.
---	-------	-------	--

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख),
जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 26 जुलाई 2012

क्र. भू-अर्जन-12-1402.—मैं, डॉ. अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर, शहडोल, बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला स्तरीय सतर्कता समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन आगामी दो वर्षों के लिये करता हूँ :—

अध्यक्ष	जिला स्तरीय समिति कलेक्टर, जिला दण्डाधिकारी, शहडोल.
सदस्य	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शहडोल. 2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शहडोल. 3. प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख, शहडोल. 4. श्रमपदाधिकारी, जिला शहडोल 5. महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, शहडोल.
अशासकीय सदस्य	1. श्री देवीदीन अहिरवार ग्राम जयसिंह नगर, जिला शहडोल. 2. श्री गोविन्द सिंह, ग्राम जैतपुर, जिला शहडोल.

3. श्री मनीलाल सिंह परस्ते,
ग्राम सारगढ़ ब्यौहारी, जिला
शहडोल.
4. श्री के. पी. सिंह, ग्राम बाणसागर,
जिला शहडोल.
5. श्री अनूप त्रिपाठी, सोहागपुर, जिला
शहडोल.

उपखण्ड स्तरीय समिति-ब्यौहारी

अध्यक्ष शासकीय सदस्य	1. अनुविभागीय अधिकारी, ब्यौहारी 2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ब्यौहारी. 3. शाखा प्रबन्धक केन्द्रीय सहकारी बैंक, ब्यौहारी. 4. तहसीलदार, ब्यौहारी 5. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक शाखा, देवलौद. 6. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक, ब्यौहारी.
अशासकीय सदस्य	7. श्री हनुमानदीन वर्मा पिता भकोले प्र. वर्मा ग्राम मुदरिया. 8. श्री रामदीन पिता झुट्टा, सा. ब्यौहारी 9. श्रीमती गीता कोल पति संतोष कोल सा. ब्यौहारी. 10. श्री दमोदर मिश्रा पिता मंगलराम मिश्रा सा. तेन्दुहा.

11. अनिलकुमार सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह,
सा. रमपुरवा.

उपखण्ड स्तरीय समिति-जयसिंहनगर

अध्यक्ष
शासकीय सदस्य

1. अनुविभागीय अधिकारी, जयसिंहनगर
2. तहसीलदार तह. जयसिंहनगर
3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जयसिंहनगर.
4. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, जयसिंहनगर.
5. शाखा प्रबन्धक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक टिहकी.

अशासकीय सदस्य

6. थाना प्रभारी, थाना जयसिंहनगर
7. श्री कृष्णा तिवारी, ग्राम कुबरा
8. श्री रामाधीन ग्राम करकी
9. श्री दिनकर तिवारी ग्राम कुबरा
10. श्री सरजू सिंह गौड़ ग्राम ठेंगरहा
11. श्री शिवप्रसाद चर्मकार, ग्राम सरवाही.

उपखण्ड स्तरीय समिति-सोहागपुर

अध्यक्ष
शासकीय सदस्य

1. अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर
2. तहसीलदार तह. सोहागपुर
3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गोहपारू.
4. प्रो. अनिल उपाध्याय प्राध्यापक शासकीय नेहरू महा. बुढ़ार.
5. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा, शहडोल.

अशासकीय सदस्य

6. श्रीमती मुन्नी चौधरी, ग्राम धनपुरा
7. श्री चरकू बैगा, ग्राम जमुई.
8. श्री श्याम सुन्दर सिंह, ग्राम बरमनिया
9. श्री विवेक पाण्डेय (सामाजिक कार्यकर्ता) शहडोल.
10. श्री दुर्गा तिवारी, (सामाजिक कार्यकर्ता) खन्नौधी, शहडोल.

उपखण्ड स्तरीय समिति-जैतपुर

अध्यक्ष
शासकीय सदस्य

1. अनुविभागीय अधिकारी, जैतपुर
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बुढ़ार.

3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बुढ़ार
4. परियोजना अधिकारी, एकी. महिला एवं बाल विकास, बुढ़ार.
5. थाना प्रभारी, थाना जैतपुर
6. श्रीमती प्रेमबाई सिंह, ग्राम बरगवां
7. सुश्री उमा धुर्वे बुढ़ार
9. श्री भरतलाल चौधरी, ग्राम कदौड़ी
10. श्री नेकमोहम्मद (सामाजिक कार्यकर्ता) ग्राम झोंक बिजुरी.
11. श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (सामाजिक कार्यकर्ता) जैतपुर.

अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर.

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2012

क्र. 5924-2180-अका-विपप्र-2012-संशोधन.— राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र सामान्य विधि तृतीय (पुस्तकों सहित) जो वन विभाग के अधिकारियों के लिये था, जिसकी अधिसूचना क्रमांक 4648-2180-अका-विपप्र-2012, दिनांक 11 जून 2012 को जारी की गई थी, में आंशिक संशोधन कर निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

होशंगाबाद संभाग

1	श्रीमती मोनिका मण्डलोई	वनक्षेत्रपाल
2	सुश्री सुकृति ओसवाल	वनक्षेत्रपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 18 जुलाई 2012

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2012-1281.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	कोलारस	कूड़ा पाडौन	401	0.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.	गुरीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
			393	0.23		
			391	0.27		
			432	0.05		
			456	0.10		
			427	0.05		
			402	0.26		
			403	0.04		
			392	0.03		
			390	0.06		
			389	0.05		
			434	0.10		
			433	0.09		
			योग . .	1.36		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2012-1287.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	कोलारस	राजगढ़	129	0.16	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.	गुरीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
			401	0.13		
			403	0.12		
			398	0.12		
			योग . .	0.53		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2012-1293.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा			सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	कोलारस	गुरीला	151	1.32	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.	गुरीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
			24	0.15		
			25	0.12		
			27	0.16		
			36	0.19		
			11	0.14		
			12	0.06		
			14	0.04		
			16	0.08		
			17	0.03		
			18	0.11		
			19	0.10		
			योग . .	2.50		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 31 जुलाई 2012

क्र. 20-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा			सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	कूंड	481	0.02	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्रमांक 9, दतिया, मध्यप्रदेश.	बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना कासना नाला तालाब के नहर निर्माण हेतु.
			494/2249	0.04		
			494/2248	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		494/2247		0.01		
			482	0.08		
			491	0.14		
			492	0.01		
			489	0.13		
			487	0.03		
			488	0.05		
			381	0.16		
			486	0.12		
			485	0.07		
			426	0.07		
			471	0.11		
			427	0.07		
			455	0.06		
			452	0.03		
			454	0.21		
			453	0.10		
			396	0.09		
			451	0.04		
			449	0.09		
			430	0.07		
			428	0.05		
			429	0.05		
			450	0.01		
			394	0.20		
			385	0.16		
			395	0.08		
			392	0.01		
			393	0.01		
			380	0.07		
			382	0.03		
		योग		<u>2.51</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, सरदार सरोवर परियोजना, कुक्षी,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 20 जुलाई 2012

क्र. 3-अ-82-2012-भू-अर्जन-ओ.एस.पी.-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	पावखेड़ी	0.154	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर.	ओंकारेश्वर परियोजना की वितरण नहर क्र. 17 के अन्तर्गत चिखल्दा मायनर 2 की आर. डी. 2940 से 5020 मी. तक नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर के कार्यालयों में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 26 जुलाई 2012

क्र. 225-री-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धरमपुरी	सुलगांव	0.253	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि., न. घा. वि. प्रा. इ. सा. परि., सं. क्रमांक-2, धरमपुरी.	सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में आने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना संभाग-2, धरमपुरी, जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 26 जुलाई 2012

क्र. 2310-रीडर-क्र. 08-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/जिला	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	झाबुआ/ झाबुआ	कांकरादरा	1.60	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	भामची सिंचाई तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, झाबुआ में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग रानापुर में किया जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 28 जुलाई 2012

क्र. 2340-भू-अर्जन-क्र. 09-भू-अर्जन-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/जिला	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	झाबुआ/ झाबुआ	सुरड़िया	2.28	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	भामची सिंचाई तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, झाबुआ में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग रानापुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 27 जुलाई 2012

क्र. 35-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	लालबर्गी	नेवरगांव, प.ह.नं. 59	0.683 (संरचना सहित).	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	वारसिवनी-लालबर्गी मार्ग पर टोल प्लाजा निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बालाघाट, दिनांक 30 जुलाई 2012

क्र. 34-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोडी	नांदी, प.ह.नं. 18	0.692 (संरचना सहित).	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	सिवनी-कटंगी-बोनकट्टा राज्य मार्ग क्रमांक 54 पर टोल प्लाजा निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 27 जुलाई 2012

क्र. 761-भू.अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	ससल्या बुजुर्ग	66.907	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के रिजरवायर एवं मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 762-भू.अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	ससल्या खुर्द	60.809	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के रिजरवायर के निर्माण हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 763-भू.अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	गढ़ी	0.154	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	ओंकारेश्वर परियोजना द्वितीय चरण की दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 31 जुलाई 2012

क्र. 772-भू.अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	आशापुर	24.196	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 773-भू.अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	मोहना	26.972	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 774-भू.अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	करही	4.835	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 775-भू.अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	समसपुरा	8.235	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 776-भू.अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	हीरापुर	5.215	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 777-भू.अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	पाडल्याखुर्द	1.434	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 28 जुलाई 2012

क्र. 5493-10-भू.अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	जैतहरी	छिरहाटोला	1.337	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर.	छिरहाटोला जलाशय नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जैतहरी, जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़, दिनांक 28 जुलाई 2012

प्र. क्र. 16-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	पहाड़ीवक्सी	1.960	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	तिकोनाघाट तालाब योजना के स्पिल चैनल एवं नहर कार्य हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तिकोनाघाट तालाब योजना के स्पिल चैनल एवं नहर कार्य हेतु ग्राम पहाड़ीवक्सी की भूमि का अर्जन भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 17-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	गरोली	1.260	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य हेतु ग्राम गरोली की भूमि का अर्जन भूमि का नक्शा के विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	सौरका	2.330	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य हेतु ग्राम सौरका की भूमि का अर्जन भूमि नक्शा के विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 19-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	बारहों खुर्द	2.810	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	तिकोनाघाट तालाब योजना के स्पल चैनल एवं नहर कार्य हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तिकोनाघाट तालाब योजना के स्पल चैनल एवं नहर कार्य हेतु ग्राम बारहोखुर्द की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 20-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	गोरा खास	0.660	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य हेतु ग्राम गोरा खास की भूमि का अर्जन भूमि का नक्शा के विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 21-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	गोरा भाटा	0.690	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य हेतु ग्राम गोरा भाटा की भूमि का अर्जन भूमि का नक्शा के विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 22-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	गोपालपुरा	0.710	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य हेतु ग्राम गोपालपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 31 जुलाई 2012

क्र. भू-अ.अ.-2011-12.—प्र. क्र. अ-82 वर्ष-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन का	
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	गंजबरखेरा	1.31	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर.	फुटेरा-मगरोन मार्ग के कि. मी. 8/4 में बैनक (जूडी) नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण में आने भूमि का अर्जन.
		योग . .	1.31		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 1 अगस्त 2012

क्र. 8374-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके लिये अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	पचोर	तलेन	0.166	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु	शुजालपुर पचोर तलेन मार्ग
		योग . .	0.166	निर्माण संभाग, उज्जैन.	कि. मी. 22/10 में उगल नदी पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य में आ रही भूमि का अधिग्रहण.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 1 अगस्त 2012

क्र. भूमि संपादन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	बड़नगर	बालोदाकोरन	3.65	भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर	बालोदाकोरन जलाशय के मुख्य नहर एवं माइनर नहर हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	बड़नगर	अजडावदा	4.04	भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर	बालोदाकोरन जलाशय के मुख्य नहर एवं माइनर नहर हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	बड़नगर	रावदियापीर	2.10	भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर.	बालोदाकोरन जलाशय के मुख्य नहर एवं माइनर नहर हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 1 अगस्त 2012

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	मंगेला माल, पटवारी हल्का नं. 43, रा.नि.मं. शहपुरा.	168 169 235 234/1	0.75 0.04 0.06 0.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			232	0.40		
			231	0.10		
			230	0.02		
			249	0.56		
			229	0.45		
			257/1	0.15		
			251/2	0.15		
			258	0.20		
			262	0.06		
			259	0.14		
			256	0.13		
			260	0.13		
			261	0.28		
			263	0.20		
			266	0.55		
			267	0.08		
			285	0.04		
			286	1.01		
			283	0.82		
			282	0.27		
			280	0.18		
			279	0.11		
			340/1	0.08		
			344	0.45		
			345	0.04		
			346	0.42		
			350	0.42		
			351	0.03		
			349/1	0.18		
			234/2	0.30		
			योग	9.11		
			शासकीय भूमि			
			226	0.15		
			263	0.20		
			285	0.04		
			349/1	0.10		
			योग	0.49		
			कुल योग	9.60		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम			द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौर	शहपुरा	बरगांव, पटवारी हल्का नं. 16, रा. नि. मं. शहपुरा.	50	1.89	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौर.	बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु.
			51	0.21		
			52	0.15		
			54	0.18		
			58	1.23		
			60	0.40		
			62	0.26		
			63	0.72		
			69	0.96		
			70	0.20		
			71	0.40		
			72	0.20		
			73	0.52		
			74	0.52		
			300	0.38		
			301	0.38		
			302	0.36		
			304	0.16		
			306	0.26		
			307	0.35		
			309	0.17		
			310	0.05		
			312	0.28		
			319	0.49		
			320	0.95		
			1551	1.05		
			1552	0.21		
			1553	0.40		
			1558	0.30		
			1559	0.16		
			1571	0.70		
			1572	0.70		
			1537	0.27		
			1538	0.70		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1536	0.30		
			1535	0.40		
			1534	0.22		
			1533	0.90		
			1514	0.30		
			1515	0.20		
			1517	0.43		
			1593	0.34		
			1594	0.56		
			1595/1	0.20		
			1595/2	0.10		
			1595/3	0.10		
			1601/1	0.10		
			1601/2	0.36		
			1601/3	0.15		
			1605	0.42		
			1624	0.38		
			1622	0.30		
			1609	1.26		
			1608	0.20		
			1613	0.96		
			1614	0.08		
			योग निजी भूमि	24.42		
			शासकीय भूमि			
			53	0.190		
			59	0.200		
			61	0.160		
			68	0.040		
			303	0.200		
			309	0.200		
			308	0.160		
			321	0.200		
			1554	0.600		
			1560	0.500		
			1562	1.770		
			1541	5.000		
			1540	0.900		
			1570	0.300		
			1539	1.000		
			1516	0.100		
			1604	0.400		
			1623	1.260		
			1496	0.460		
			1612	0.300		
			योग शासकीय भूमि	13.940		
			कुल अर्जित भूमि	38.360		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	बरगा, पटवारी हल्का नं. 64, रा. नि. मं. समनापुर.	निजी भूमि— 418 417 416/1 416/2 415 414 413/1 413/2 413/3 412 413/4 367/2 367/1 400/1 400/2 401 402 403 405 406 395 396 404 387 424/1 424/2 424/3 424/4 424/5 425 421 429 527	0.200 1.290 0.550 0.410 0.300 0.310 0.110 0.110 0.110 0.580 0.110 0.261 0.261 0.070 0.070 1.250 0.520 0.260 0.260 1.890 1.030 1.170 0.310 3.000 0.320 0.320 0.330 0.330 0.330 0.900 0.690 0.540 0.180	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बरगा जलाशय (समनापुर) के शीर्ष कार्य हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			533	0.540			
			534/1	0.256			
			534/2	0.256			
			534/3	0.256			
			536	0.161			
			537	0.085			
			431/1	0.070			
			431/2	0.060			
			431/3	0.060			
			399	0.020			
			398	0.020			
			427	0.147			
			432	0.375			
			434	0.080			
			436	0.057			
			435	0.070			
			437/1	0.050			
			437/2	0.050			
			437/3	0.050			
			439	0.208			
			440	0.060			
			443/2	0.010			
			443/1	0.010			
			433/3	0.010			
			534/1	0.020			
			534/2	0.020			
			534/3	0.020			
			536	0.010			
			537	0.030			
			538/1	0.060			
			538/2	0.050			
			538/3	0.050			
			535/1	0.020			
			535/2	0.020			
			535/3	0.020			
			योग निजी भूमि . .	21.653			
			शासकीय भूमि				
			532, 528, 443,	5.708			
			430, 426, 407,				
			397, 388, 430,				
			442, 532				
			कुल योग . .	27.361			

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम			द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	संग्रामपुर माल, पटवारी हल्का नं. रा. नि. मं. शहपुरा.	102	0.05	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु.
			103	0.20		
			106	0.02		
			108	0.14		
			133/3	0.04		
			90	0.10		
			87	0.27		
			135	0.04		
			84	0.03		
			82	0.02		
			80	0.11		
			79	0.25		
			78	0.23		
			77	0.04		
			74	0.08		
			144	0.20		
			146	0.11		
			147	0.13		
			66/1	0.36		
			150	0.16		
			156	0.36		
			153	0.27		
			232/1	0.08		
			233	0.16		
			236	0.25		
			237	0.10		
			143/1	0.12		
			143/2	0.12		
		योग		4.04		
		शासकीय भूमि				
			104	0.04		
			105	0.07		
			107	0.05		
			133/1	0.03		
			89	0.24		
			88	0.25		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			85	0.32		
			151	0.10		
			योग . .	1.10		
			कुल योग . .	5.14		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	रनगांव, पटवारी	412	0.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु.
		हल्का नं. 18,	424	0.02		
		रा. नि. मं.	459	0.39		
		शहपुरा	496	0.12		
			425	0.06		
			457	0.38		
			498	0.28		
			455	0.06		
			456	0.12		
			452	0.02		
			494	0.02		
			493	0.53		
			497	0.12		
			500	0.03		
			502	0.96		
			503	0.01		
			512	0.39		
			514	0.26		
			369	0.02		
			346	0.04		
			349	0.80		
			233	0.12		
			350	0.09		
			232	0.38		
			196	0.04		
			170	0.06		
			331	0.03		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			195	0.30		
			199	0.03		
			188	0.04		
			योग . .	5.78		

शासकीय भूमि

461	0.07
460	0.79
411	0.05
413	0.06
415	0.20
458	0.10
429	0.01
451	0.03
449	0.04
504	0.02
348	0.08
511	0.64
328	2.10
200	0.06
189	1.22
203	0.01
186	0.01
योग . .	5.49

कुल योग . . 11.27

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	सूरजपुरा, पटवारी	3	0.220	कार्यपालन यंत्री,	बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई
		हल्का नं. 18,	7	0.050	जल संसाधन संभाग,	परियोजना नहर कार्य हेतु,
		रा. नि. मं.	8	0.090	डिण्डौरी.	
		शहपुरा.	9	0.450		
			10	0.100		
			29	0.120		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			30	0.180		
			31	0.160		
			32	0.400		
			34	0.100		
			40	0.500		
			73	0.100		
			107	1.030		
			70	0.300		
			71	0.200		
			69	0.430		
			66	0.950		
			60	0.060		
			61	0.900		
			62	0.270		
			55	0.240		
			56	0.650		
			57	0.090		
			58	0.550		
			59	0.420		
			224	1.100		
			230/2	0.200		
			253	0.130		
			254	0.700		
			255	0.300		
			256	0.680		
			257	0.160		
			258	0.060		
			260	0.470		
			261	0.150		
			263	1.100		
			264	0.110		
			265	0.210		
			267	0.480		
			267	0.200		
		योग निजी भूमि		14.610		
		शासकीय भूमि				
			4	0.040		
			77	0.200		
			74	0.100		
			75	0.080		
			76	0.060		
			231	0.100		
		योग शासकीय भूमि		0.580		
		कुल अर्जित भूमि		15.190		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बिलगांव, पटवारी हल्का नं. 19, रा. नि. मं. शहपुरा.	701	0.34	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
			702	0.45		
			703	1.05		
			704	0.87		
			406/1	0.63		
			604	0.40		
			605/1	0.09		
			607	1.08		
			609	0.08		
			614	0.68		
			568	0.27		
			616	0.14		
			617/2	0.07		
			618	0.05		
			595	0.20		
			581	0.85		
			580	0.05		
			550	0.10		
			554	0.87		
			578	0.30		
			569	0.29		
			571	1.75		
			556	0.20		
			699	0.50		
			566/2	0.16		
			557/1	0.44		
			551	0.25		
			552	0.09		
			553	0.09		
			555	1.75		
			549	0.20		
			548	0.11		
			655/1	0.29		
			655/2	0.11		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			656	0.52		
			654	0.40		
			657	1.20		
			650	1.00		
			647	0.48		
			652	0.59		
			651	0.16		
			653	1.27		
			648	0.46		
			631	0.40		
			641	0.08		
			642	0.40		
			649	1.15		
			639	0.40		
			605/2	0.05		
			557/2	0.80		
			557/3	0.73		
			योग	24.89		

शासकीय भूमि

700	0.23
705	1.36
603	1.10
606	0.11
608	0.48
615	0.46
597	0.15
583	0.40
582	0.13
579	0.09
570	0.16
565	0.16
622	0.60
643	0.39
638	0.11
572	0.40
573	0.29
574	0.44
योग	7.06
कुल योग	31.95

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानों (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अनुसूची		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	राछो, पटवारी	45	0.04	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु.
		हल्का नं. 17,	46	0.37		
		रा. नि. मं.	47	0.10		
		शहपुरा.	50	0.22		
			49/2	0.04		
			99/1	0.10		
			99/2	0.04		
			90/3	0.08		
			101	0.06		
			104	0.22		
			535	0.10		
			552	0.22		
			545	0.05		
			546	0.02		
			544	0.28		
			548	0.47		
			551	0.22		
			549	0.02		
			555	0.04		
			5	0.22		
			4	0.33		
			3	0.09		
			2	0.18		
			1	0.32		
			100	0.01		
			योग	3.84		
शासकीय भूमि						
			142	0.06		
			102	0.01		
			543	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			527	0.14		
			49/1	0.02		
			132	0.04		
			336	0.02		
			542	0.03		
			योग . .	0.34		
			कुल योग . .	4.18		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		अनुसूची		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बिलगांव, पटवारी	157	1.100	कार्यपालन यंत्री,	बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई
		हल्का नं. 16,	154	0.480	जल संसाधन संभाग,	परियोजना नहर कार्य हेतु.
		रा. नि. मं.	153	0.120	डिण्डौरी.	
		शहपुरा.	158	0.300		
			92	0.220		
			91/1	0.340		
			91/2	0.060		
			90	0.210		
			89	0.220		
			93/3	0.100		
			97/3	0.110		
			88	1.100		
			98	0.040		
			100	0.200		
			101	1.000		
			106	0.020		
			110	0.030		
			113	0.020		
			114	0.300		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			115	0.500		
			116	0.800		
			117	0.300		
			128/1	0.300		
			128/2	0.080		
			128/3	0.330		
			129	0.330		
			130	0.140		
			467/1	0.100		
			468	0.130		
			469	0.120		
			470	0.400		
			471	0.330		
			473/1	0.400		
			474/1	0.060		
			476	0.120		
			542	0.330		
			541	0.220		
			543	0.060		
			544	0.020		
			545	0.130		
			540	0.160		
			537	0.210		
			536	0.040		
			546	0.850		
			550	0.100		
			551	0.160		
			557/1	1.800		
			566/2	0.100		
			556/1	0.740		
			567	0.400		
			568	0.120		
			569	0.400		
			571	0.040		
			614	0.020		
			617/1	0.370		
			617/2	0.300		
			618	0.600		
			621/1	0.300		
			613	0.120		
			698/1	0.040		
			699	0.460		
		योग निजी भूमि		18.500		
		शासकीय भूमि				
			156	1.130		
			108	0.080		
			515	0.060		
			466	0.080		
			472	0.500		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			475	0.100		
			477	0.070		
			478	0.020		
			622	0.600		
			539	0.260		
			537	0.120		
			570	0.300		
			571	0.040		
			571	0.040		
			610	0.040		
			700	0.500		
		योग शासकीय भूमि . .		3.940		
		कुल अर्जित भूमि . .		22.440		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	संग्रामपुर रै., पटवारी हल्का नं. 31, रा. नि. मं. शहपुरा.	80	0.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु.
			31	0.08		
			34	0.22		
			81	0.03		
			121	0.15		
			33	0.06		
			35	0.04		
			36	0.05		
			40/1	0.012		
			40/2	0.08		
			60/2	0.01		
			61	0.06		
			59	0.07		
			127	0.15		
			71	0.07		
			75/2	0.03		
			77	0.04		
			79	0.06		
			122	0.10		
			123	0.03		
			126	0.11		
			125	0.01		
			129	0.09		
			130	0.12		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			131/1	0.17		
			132	0.03		
			121/2	0.17		
			131/3	0.17		
			137	0.46		
			234	0.79		
			75/1	0.03		
			योग . .	3.51		
			शासकीय भूमि			
			105	0.02		
			37	0.04		
			73	0.02		
			76	0.02		
			124	0.02		
			योग शासकीय भूमि . .	0.12		
			कुल भूमि . .	3.63		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)			सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
डिण्डौरी	शहपुरा	अमठेरा,	3	0.400	कार्यपालन यंत्री,	बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई
		पटवारी हल्का नं.	4	0.250	जल संसाधन संभाग,	परियोजना नहर कार्य हेतु.
		16, रा. नि. मं.	5	0.300	डिण्डौरी.	
		शहपुरा.	6	0.200		
			10	0.300		
			12/1	0.100		
			12/3	0.130		
			12/4	0.100		
			12/2	0.200		
			14/1	0.040		
			योग निजी भूमि . .	2.020		
			शासकीय भूमि			
			11	0.250		
			13	0.500		
			योग शासकीय भूमि . .	0.750		
			कुल अर्जित भूमि . .	2.770		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग			(1)	(2)	(3)
ग्वालियर, दिनांक 20 जुलाई 2012			1122/5	0.410	0.02
			1121/3 मि-2	0.209	0.37
			1121/6	1.682	
			564/2	3.062	0.38
			117	1.233	0.06
प्र. क्र. 28-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			1027/5	0.794	0.07
			1027/6	0.920	
			1115/2	0.794	0.12
			1115/1	2.853	
			1115/3	0.920	
			1027/2	0.021	0.06
			1027/3	0.136	
			1027/4	0.105	
(1) भूमि का वर्णन—			1027/7	0.230	
(क) जिला—ग्वालियर			1116/5	0.052	0.06
(ख) तहसील—ग्वालियर			1116/7	1.223	
(ग) ग्राम—डबका			1116/1	0.637	0.06
(घ) कुल लगभग—7.98 हेक्टेयर.			1116/2	0.794	
सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)	1026/1	0.909	0.31
			1026/2	0.637	
			1026/3	0.794	
(1)	(2)	(3)	1120/1	0.240	0.18
168	0.784	0.12	563/1	1.264	0.41
837	0.721	0.12	563/2	0.105	
846	0.658	0.01	1122/3	0.637	0.36
852	0.732	0.24	815	0.669	0.01
851	0.961	0.11	824	0.763	0.14
850	0.679	0.17	835	0.752	0.17
849	0.669	0.07	809	0.972	0.07
836	0.052	0.03	164	1.264	0.19
907	1.003	0.27	166/मिन-2	0.522	0.12
902/1/क	0.836	0.24	58	0.449	0.06
902/1/ख	0.627	0.02	109	2.968	0.28
917	0.178	0.08	113	1.526	0.19
908	0.052	0.01	111/1	0.387	0.11
916	0.575	0.19	111/2	0.386	0.01
922	0.993	0.06	69/2	0.429	0.09
918	0.648	0.07	114	1.139	0.18
997/4	1.547	0.02	67	0.617	0.04
997/3	0.773	0.01	68	0.094	0.03
999/1	1.547	0.06	71	0.815	0.14
999/2	0.021	0.02	72	0.282	0.09
1122/4क	0.063	0.03	61	0.585	0.13

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
62	0.575	0.01	303	1.505	0.33
60	0.826	0.17	304	0.428	0.13
167	1.348	0.11	319	3.323	0.21
807	0.617	0.20	320/1	1.756	0.23
823/2	0.669	0.09	320/2	1.254	-
825/2	0.397	0.12	339	1.233	0.38
825/1	0.585	0.01	340	0.836	0.02
826	0.742	0.13	343/1	0.575	0.34
829/2	0.648	0.05	343/2	1.275	-
565//2	0.836	0.63	343/3	1.359	-
565/3	0.418		345/1	0.031	0.01
कुल योग : 7.98			345/2	0.032	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की गनपतपुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.			346/1	0.073	-
			346/2	0.136	-
			346/3	0.669	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.			346/4	1.912	0.26
			984/मि 1	0.721	0.35
			984/मि 2	0.732	-
			1430	0.261	0.01
प्र. क्र. 41-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			1431/मि 1	0.411	0.21
			1431/मि 2	0.136	-
			1432	0.230	0.12
			1433	0.084	0.01
			1434	0.042	0.01
			1435	1.369	0.19
			1437/मि 1	0.209	0.10
			1437/मि 2	0.868	-
(1) भूमि का वर्णन—			1438/मि 1	0.042	0.03
(क) जिला—ग्वालियर			1438/मि 2	0.021	-
(ख) तहसील—ग्वालियर			1439/मि 1	0.928	0.27
(ग) ग्राम—उटीला			1439/मि 2	0.928	-
(घ) कुल लगभग—12.907 हेक्टेयर.			1439/मि 3	0.441	-
			1439/मि 4	0.033	-
सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)	1444/1	0.428	0.41
			1444/2	0.418	-
			1444/3	0.418	-
(1)	(2)	(3)	1445/मि 1	0.063	0.01
299/1	0.909	0.29	1445/मि 2	0.062	-
299/2	0.940	-	1447	0.700	0.20
299/3	0.941	-	1476/1/क	0.408	-
302/1	0.627	-	1476/1/ख	0.198	-
302/3	0.366	-	1476/2	0.617	0.50

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1477	1.118	0.29	1638/1	0.209	-
1478	1.129	0.02	1638/2	0.240	-
1530/1	0.658	0.02	1638/3 मि 1	0.173	-
1530/2/क	0.324	-	1638/3 मि 2	0.188	-
1530/2/ख	0.084	-	1638/3 मि 3	0.363	-
1530/3 मि 1	0.324	-	1638/3 मि 4	0.362	-
1530/3 मि 2	0.324	-	1638/4	0.449	-
1532/1/मि 1	0.168	-	1638/5	0.649	0.46
1532/1 मि 2	0.167	-	1639/1/मि 1	0.074	0.05
1532/2	0.334	0.24	1639/1 मि 2	0.126	-
1534	0.669	0.09	1639/1 मि 3	0.115	-
1538	0.366	0.10	1639/2	0.157	-
1548	1.338	0.33	1639/3	0.167	-
1584/1	2.874	0.08	1639/4	0.157	-
1584/2	1.996	-	1639/5	0.157	-
1585	0.230	0.50	1639/6 मि 1	0.094	-
1591	1.202	0.07	1639/6 मि 2	0.314	-
1598	1.609	0.10	1639/6 मि 3	0.313	-
1599	0.314	0.13	1639/7	1.379	-
1609/1	0.272	0.12	1642/1	0.167	0.167
1609/2	0.261	-	1642/2	0.167	-
1609/3	0.261	-	1643	0.084	0.04
1611/1	0.052	-	1640	0.157	0.12
1611/2क	0.292	0.21	1044/मि 1	0.105	0.02
1611/2ख	0.136	-	1044/मि 2	0.062	-
1608	0.084	0.04	1045/मि 1	0.011	-
1617/1	0.209	-	1045/मि 2	0.031	0.042
1617/2 मि 1	0.105	-	1046/1	0.314	0.25
1617/2 मि 2	0.104	-	1046/2	0.115	-
1617/3	0.449	-	1046/3	0.104	-
1617/4	0.273	0.25	1047	0.460	0.15
1618	0.125	0.03	1048	0.324	0.12
1649	0.219	0.01	1051	0.334	0.01
1619/1	0.261	-	1052/मि 1	0.376	0.01
1619/2	0.972	0.41	1052/मि 2	0.293	-
1619/3 मि 1	0.125	-	1061	0.543	0.28
1619/3 मि 2	0.293	-	1062	0.418	0.17
1619/4	-	-	548	2.728	0.55
1619/5	0.230	-	566	1.839	0.77
1620/1	1.170	0.02	567	1.035	0.26
1620/2 मि 1	0.052	-	568	1.724	0.03
1620/2 मि 2	0.377	-			
1620/2 मि 3	0.167	-			

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—नीलकंठ	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.371 हेक्टेयर.		
569	1.766	0.46	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)		
572						
573	0.658	0.15	(1)	(2)		
574/1	0.140	0.03	99/1	0.122		
574/2	0.157	-	100	0.122		
412/1	0.763	0.34	11/1/1, 12, 13, 14/4/1क	0.230		
415/1	1.599	0.53	11/2/1/1, 14/1/1, } 14/2/1, 14/4/2/1/1	0.194		
415/2					0.679	-
415/3					0.209	-
404/1	1.693	0.21	6/1/1, 6/2/1	0.234		
404/2			2.571	-	5/1/1, 6/1/3/1	0.250
कुल योग : 12.907			6/2/2	0.182		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.			6/2/4, 6/4/2/1	0.314		
			6/2/4 ख, 6/4/2/2 ख	0.048		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.			3/2	0.415		
			2/1	0.130		
			2/4	0.130		
			योग	2.371		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 23 जुलाई 2012

प्र. क्र. 07-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नीलकंठ मण्डी सड़क निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—मण्डी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.428 हेक्टेयर.		(1)	(2)
खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	324/3	0.070
(1)	(2)	324/4/1	0.500
		324/5	0.200
107/1 ख	0.226	381/2/3	0.063
108/1 घ, 109	0.202		योग . . . 1.153
योग	0.428		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नीलकंठ मण्डी सड़क निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 26 जुलाई 2012

क्र. 76-भू-अर्जन-मान-जोबट परि.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुशी
(ग) ग्राम—बड़दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.153 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
324/1	0.250
324/2	0.070

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—जोबट सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, मान परियोजना, धार, जिला धार तथा कार्यपालन अधिकारी, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-16 कुशी, जिला धार के कार्यालय के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 82-भू-अर्जन-मान-जोबट परि.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुशी
(ग) ग्राम—चिकली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.013 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
214/1	0.140
214/4	0.250
217/4/9	0.108
217/5/1	0.086
217/4/8	0.102
217/5/2	0.089
217/4/7	0.057
217/5/3	0.092
217/4/6	0.089
योग	1.013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—
जोबट सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, मान परियोजना, धार, जिला धार तथा कार्यपालन अधिकारी, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-16 कुशी, जिला धार के कार्यालय के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 30 जुलाई 2012

पत्र क्र. 11369-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—बदनावर
(ग) ग्राम—करणपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.265 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	ली जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
390	0.057
546	0.051
378/4	0.112
378/1/2	0.045
योग . .	<u>0.265</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—
आसराकुण्ड तालाब के नहर निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 धार, जिला धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 11374-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए

आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—बदनावर
(ग) ग्राम—झरखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.276 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	ली जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
158/3	0.124
155/2	0.240
154/4/1	0.020
152/1-152/2	0.060
138/-139/2	0.370
139/3-151	0.140
132/1	0.060
132/2	0.086
133	0.090
154/2	0.086
योग . .	<u>1.276</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—
आसराकुण्ड तालाब के नहर निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 धार, जिला धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 11379-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—बदनावर

(ग) ग्राम—रुपाखेड़ा	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.108 हेक्टर.	6/1/2/1	0.113
सर्वे नम्बर	14	0.056
ली जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	18/1/1	0.057
(1)	18/1/1/1	0.055
(2)	18/1/2	0.049
704/1/1	18/1/3	0.058
711/2	18/1/5	0.058
305/2/1	18/1/6	0.058
305/2/2	18/1/7	0.055
229/1	34	0.055
305/1	35	0.064
738/1/2	36	0.054
102/1		योग . . . 0.740
287/2		
योग . . .		1.108

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—आसराकुण्ड तालाब के नहर निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 धार, जिला धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 11386-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—बगवान्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.810 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
4/1/1	0.039
6/1/1	0.039

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—आर.आर.आर. योजना में प्रस्तावित उमरिया तालाब की डायवर्शन नहर अंतर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 11389-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—उमरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.740 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
220/1	0.053
220/2	0.045
220/3	0.055
220/4	0.055

(1)	(2)	(ग) ग्राम—रीछई, प.ह.नं. 28	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.79 हेक्टेयर.
220/5	0.007	खसरा नंबर	रकबा
223	0.097	में से	(हेक्टर में)
228	0.053	(1)	(2)
227/1	0.045	231	0.30
227/2	0.045	229/2	0.12
227/3	0.045	421	0.12
223	0.032	416/2	0.10
234/1	0.045	417	0.24
234/2	0.081	420/2	0.06
232	0.038	419	0.20
236	0.044	400	0.29
योग . . .	0.740	401	0.11
		404	0.20
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—आर.आर.आर. योजना में प्रस्तावित उमरिया तालाब की डायवर्शन नहर अंतर्गत प्रभावित होने से.		403/1	0.03
		403/2	0.07
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		382/1	0.13
		383/1	0.06
		381	0.13
		380	0.30
		379/1	0.06
		364/2	0.21
		368/2	0.06
		योग . . .	2.79

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 27 जुलाई 2012

क्र. -भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नंबर 8 आर रीछई हेतु नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर

- (ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—पिपरिया गुसाई, प.ह.नं.-31
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.35 हेक्टेयर.

- (ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—रीछई, प.ह.नं.-28
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.02 हेक्टेयर.

खसरा नंबर में से (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
58	0.43
59	0.06
61	0.09
78/6	0.06
79/5	0.13
82/1	0.08
82/3, 82/4	0.22
85	0.10
86/3	0.08
86/4	0.08
97	0.08
98/1	0.22
98/2	0.16
100/1	0.06
100/2	0.10
100/3	0.11
123/1	0.22
125	0.07
योग . .	<u>2.32</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—सतधारा जलाशय की पिपरिया माईनर नहर निर्माण.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. . . .-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सागर

खसरा नंबर में से (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
1	0.17
2	0.36
3/2	0.15
4/1	0.24
5	0.10
16/1	0.36
15/2	0.22
23/1	0.05
23/2	0.21
26/2	0.16
योग . .	<u>2.02</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नंबर 7 एल रीछई हेतु नहर निर्माण.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. . . .-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—डुंगरियास्वामी, प.ह.नं.-26
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.13 हेक्टेयर.

खसरा नंबर में से (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
2/1	0.03

(1)	(2)
5/2	0.03
5/1	0.26
8	0.25
14/1	0.29
52	0.18
53	0.03
51/1	0.15
51/2	0.08
50	0.13
49/1	0.13
48/1	0.03
48/2	0.10
44/1	0.20
44/3	0.06
44/97 क	0.01
38	0.43
37/3	0.12
36/6	0.22
32/1	0.04
33/2	0.36
योग . .	<u>3.13</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नंबर 4 आर छिंदली हेतु नहर निर्माण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. . . .-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—देवरी

- (ग) ग्राम—छिंदली, प.ह.नं.-27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.81 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा
में से	(हेक्टर में)
(1)	(2)
336/430	0.23
336/2	0.01
331	0.03
335	0.15
335/433	0.13
334	0.26
योग . .	<u>0.81</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नंबर 6 आर छिंदली हेतु नहर निर्माण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. . . .-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—देवरी
- (ग) ग्राम—छिंदली, प.ह.नं.-27 (माईनर नं.-7 एल रीछई)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.84 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा
में से	(हेक्टर में)
(1)	(2)
362	0.14
363	0.19
304	0.06
365/2	0.11

(1)	(2)	(1)	(2)
302/3	0.04	45	0.12
366	0.17	5/1	0.10
296/1	0.02	5/6	0.22
299	0.18	30	0.06
367/1, 367/3	0.19	56	0.17
368	0.02	26	0.05
398	0.31	25	0.02
298	0.04	102	0.26
399/1	0.20	32	0.30
399/2	0.15	33	0.15
297	0.02	43/1	0.40
योग . .	1.84	57	0.09
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के माईनर नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.		54/2	0.14
		54/4	0.14
		50	0.08
		49	0.04
		93/1	0.12
		92	0.33
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.		91	0.12
		90	0.12
		100/4	0.27
		103/1	0.18
क्र. . . . -भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		योग . .	4.42
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नंबर 5 एल छिंदली हेतु नहर निर्माण.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.	

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—जमुनिया पंडित, प.ह.नं.-27
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.42 हेक्टेयर.

खसरा नंबर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/2	0.04
4	0.21
29	0.43
31	0.26

क्र. 5746-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर

(ख) तहसील—देवरी		(1)	(2)
(ग) ग्राम—देवरी पाठक, प.ह.नं.-26, (मईनर नं.-5 एल छिंदली).		203/2	0.01
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.37 हेक्टेयर.		204/2	0.02
		204/1	0.12
		210	0.32
खसरा नंबर	रकबा	208/1	0.17
में से	(हेक्टर में)	208/2	0.02
(1)	(2)		योग . . . 1.17
89/1	0.04		
90/1	0.16		
90/2	0.10		
90/3	0.07		
योग . . .	0.37		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के माईनर नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. . . . -भू.-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—पिपरिया पाठक, प.ह.नं.-26
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.17 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा
में से	(हेक्टर में)
(1)	(2)
200/4	0.37
200/2	0.02
205	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नंबर 6 आर छिंदली हेतु नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. . . . -भू.-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—रायखेड़, प.ह.नं.-28,
(माईनर नं.-1 आर. रायखेड़ा).
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.43 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा
में से	(हेक्टर में)
(1)	(2)
223/2	0.03
227/2	0.03
216/1	0.04
217	0.19
216/2	0.04
216/3	0.18
219	0.01
218/1	0.01

(1)	(2)
218/2	0.21
214	0.06
72	0.15
71	0.37
70	0.01
69	0.05
83	0.01
67	0.04

योग . . . 1.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के माईनर नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाव क्र. 1, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. . . . -भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—जमुनिया पंडित, प.ह.नं.-27
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.23 हेक्टर.

खसरा नंबर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
10/4	0.11
10/1	0.12
योग . . .	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नंबर 6 आर, छिंदली हेतु नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. . . . -भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—छिंदली, प.ह.नं.-27
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.19 हेक्टेयर.

खसरा नंबर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
74	0.49
106	0.12
103	0.23
98	0.18
100	0.09
268	0.09
269/1	0.11
270	0.08
253/1	0.08
253/2	0.15
254/1	0.30
249/1	0.24
248/2	0.03
योग . . .	2.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नंबर 5 एल, छिंदली हेतु नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 31 जुलाई, 2012

क्र. 5894-भू.-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—मालथौन
(ग) ग्राम—डबडेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.43 हेक्टेयर.

खसरा नंबर में से (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
97	0.30
98	1.51
99	0.17
100	0.75
101	0.20
103	0.18
106	0.03
125	4.65
119	0.20
120	0.60
187	0.02
131/2	0.64
188	0.10
111	0.08
योग . .	<u>9.43</u>

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, खुरई में देखा जा सकता है.
(3) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, सागर बांध डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल निर्माण कार्य.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 30 जुलाई 2012

क्र. 27-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—किरनापुर
(ग) ग्राम—रजेगांव, प. ह. नं. 6
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.267 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
364/67	0.186
364/68	0.081
योग . .	<u>0.267</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—बालाघाट-गोदिया मार्ग के कि.मी. 25/8 में बांध नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—कलेक्टर, (भू-अर्जन)अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण उप संभाग, बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 26-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—खैरलांजी

(ग) ग्राम—सावरगांव, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.206 हेक्टर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.71 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
46/3	0.206
योग . .	<u>0.206</u>
(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव गांधी सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 31 जुलाई 2012

प्र. क्र. 15अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—बटियागढ़

बिजौरी नवलशाह, पुरवा बेला, बेला पुरवा,
रूसन्दों

(ग) ग्राम/नगर—मंगोला, पैरवारा

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—बिजौरी नवलशाह	
168/1 में से	0.10
168/2 में से	0.03
169/1 में से	0.03
170/1 में से	0.02
170/2 में से	0.02
171 में से	0.08
177 में से	0.04
104/1 में से	0.01
104/2 में से	0.01
176 में से	0.31
153 में से	0.14
158 में से	0.02
160 में से	0.17
164 में से	0.10
165 में से	0.10
167/1 में से	0.02

ग्राम—पुरवा बेला

96 में से	0.08
79 में से	0.05
102 में से	0.08
114 में से	0.04
113/3 में से	0.05
116 में से	0.03
119 में से	0.08
70 में से	0.02
120 में से	0.05
59 में से	0.15
121 में से	0.05
122 में से	0.16
68 में से	0.05
85 में से	0.06
84 में से	0.05
78/2 में से	0.03
78/3 में से	0.02
69 में से	0.06
60/2 में से	0.02
58 में से	0.03
18 में से	0.11

(1)	(2)	(1)	(2)
129 में से	0.12	216 में से	0.02
19/3 में से	0.02	217/1 में से	0.02
19/2 में से	0.05	217/2 में से	0.02
130/2 में से	0.03	102 में से	0.04
128 में से	0.06	218/2 में से	0.02
127 में से	0.08	218/3 में से	0.01
ग्राम—बेलापुरवा		218/4 में से	0.01
31/1 में से	0.01	101 में से	0.06
31/2 में से	0.01	100 में से	0.06
31/3 में से	0.01	99/1 में से	0.05
31/4 में से	0.01	99/2 में से	0.05
254 में से	0.08	98/1 में से	0.01
257/1 में से	0.02	98/3 में से	0.01
258 में से	0.06	ग्राम—रूसन्दों	
30 में से	0.04	197 में से	0.10
259 में से	0.06	166 में से	0.05
262 में से	0.07	156 में से	0.15
264 में से	0.03	154/1 में से	0.03
32/1 में से	0.02	154/2 में से	0.02
32/2 में से	0.02	246 में से	0.05
32/3 में से	0.02	150 में से	0.05
33 में से	0.04	148 में से	0.03
34 में से	0.03	146 में से	0.03
98/298 घ	0.21	196 में से	0.10
250/1 में से	0.02	147 में से	0.03
250/2 में से	0.02	195 में से	0.03
249 में से	0.04	144/1 में से	0.03
248/1 में से	0.02	144/3 में से	0.03
248/2 में से	0.02	143 में से	0.09
247 में से	0.04	99 में से	0.10
242 में से	0.04	247/1 में से	0.05
215/2 में से	0.01	248/1 में से	0.02
241/2 में से	0.03	248/2 में से	0.01
240/1 में से	0.02	248/3 में से	0.01
98/4 में से	0.01	249/2 में से	0.02
98/2 में से	0.01	249/5 में से	0.03
240/2 में से	0.02	204 में से	0.06
240/3 में से	0.02		
215/1 में से	0.02		

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	(1) 110/2 112 111	(2) 0.150 0.150 0.049
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.	114 208 209	0.178 0.065 0.275
(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.	246 262 115 308	0.050 0.999 0.210 0.101
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	309 310 344	0.024 0.555 0.934
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	351 355 356 391	0.101 0.740 0.160 0.140
राजगढ़, दिनांक 1 अगस्त 2012	449/441	0.101
क्र. 8366-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	116 265 117 210 269 270	0.150 0.227 0.150 0.138 0.291 0.380
अनुसूची	118 119	0.125 0.057
(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि	325	0.239
(क) जिला—राजगढ़	120	0.150
(ख) तहसील—खिलचीपुर	214/1	0.782
(ग) ग्राम—दुर्गपुरा, अचलपुरा	240	1.133
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—22.105 हेक्टर.	260/1	0.200
खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)	198 0.040
(1)	(2)	354 1.352
ग्राम—दुर्गपुरा	199	0.040
110/1	0.051	345 0.227
382/1	0.025	387 0.050

(1)	(2)	(1)	(2)
243/2	0.030	320	0.619
201/2	0.325	338	0.292
214/3	0.405	341	0.012
243/1	0.251	342	0.024
202	0.077	343	0.138
211	0.113	347/1	0.210
268	0.190	347/2	0.095
271	0.090	347/3	0.095
203	0.065	689/411/2	0.201
206	0.024	690/411	0.025
207	0.441	339	0.270
215	0.024	695/411	0.170
263	0.024	357	0.081
266	0.166	686/411	0.500
272	0.040	688/411	0.328
686/411	0.470	689/411/1	0.265
212	0.024	694/411	0.180
213	0.125		
307	0.101	योग ग्राम दुर्गपुरा . .	<u>21.832</u>
321	0.012		
322	0.429	ग्राम—अचलपुरा	
323	0.239	76	0.101
324	0.128	211/75	0.052
214/2	0.253	77	0.120
264	0.251		
267	0.012	योग ग्राम अचलपुरा . .	<u>0.273</u>
273	0.060		
311	0.036	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दुर्गपुरा	
312	0.190	तालाब के डूब एवं वेस्ट वियर के निर्माण हेतु.	
313	0.166	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय	
314	0.166	अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन	
314/2	0.166	अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा	
316	0.506	सकता है.	
319	0.024		
346	1.474		
314/1	0.125	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
315	0.316	एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	